

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी-अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
431/2025

दायर दिनांक
11.08.2025

निर्णय दिनांक
05.12.2025

उनवान

1. कालू लाल पिता रामपाल कंजर, नि0 सराणा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
2. नन्दा लाल पिता लक्ष्मण बैरवा, निवासी संग्रामगढ, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

— प्रार्थीगण

बनाम

1. किशन पिता जगरूप गुर्जर, निवासी दोवनी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
2. नानी पत्नी हीरा गुर्जर, निवासी दोवनी, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
3. नारायण पिता हीरा गुर्जर, निवासी दोवनी, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
4. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, दोवनी, ग्राम पंचायत जीवा का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बडलियास।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोटडी जिला भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्यामलाल गुर्जर उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं
3. अप्रार्थी संख्या 05 व 06 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

--: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दोवनी पटवार हल्का जीवा का खेडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 405/4 रकबा 2.1606 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरूरी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपरिधत नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इशतदुआ की गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० मू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम दोवनी पटवार हल्का जीवा का खेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 405/4 रकबा 2.1606 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05-12-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)

अक्षत कुमार सिंह
धीसवाड़ा